कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के वित्त पर यह प्रतिवेदन राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडल को समय पर वित्तीय डाटा के इनपुट आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित किए गए बजट अनुमानो तथा लक्ष्यो की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन की निष्पक्षता का मूल्यांकन करने के लिए प्रकाशित किया गया है। यह प्रतिवेदन राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों के प्रमुख रूझानों तथा संरचनात्मक रूपरेखा का विश्लेषण करता है।

प्रतिवेदन

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं तथा राज्य सरकार तथा जनगणना द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अतिरिक्त डाटा के आधार पर, यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

अध्याय-I वित्त लेखा पर आधारित है तथा दिनांक 31 मार्च 2019 को सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह, ऑफ बजट के माध्यम से राज्य की क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित केंद्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखा के अतिरिक्त, प्रमुख राजकोषीय समुच्यों की प्रवृतियों तथा रूपरेखा, प्रतिबद्ध व्यय, तथा उधार पद्धति पर अंतदृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय-II विनियोजन लेखाओ पर आधारित है तथा विनियोजनों के अनुदान-वार विवरण तथा उस पद्धति का वर्णन करता है जिनके माध्यम से सेवा देने वाले विभागों को आबंटित संसाधनो का प्रबंधन किया जाता था। कोषागार के निरीक्षण से सृजित टिप्पणियां भी इस अध्याय में की गई है।

अध्याय-III विभिन्न रिर्पोटिंग आवश्यकताओं तथा वित्तीय नियमों तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण सहित सरकार की अनुपालना का विवरण है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों, राज्य के स्वयं के कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा कुल व्यय के संदर्भ में बजट अनुमान को प्राप्त नहीं कर सकी।

(पैरा 1.1.3)

आरआर उत्थान, जीएसडीपी के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर राजस्व (एसओटीआर) वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान कम था, क्योंकि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में आरआर तथा एसओटीआर की वृद्धि दर कम थी।

(पैरा-1.1.4)

राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹2,719 करोड़ (5.60 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई, जो मुख्यत: ₹2,078 करोड़ (17.44 *प्रतिशत*) संघीय करो तथा शुल्कों में राज्य के हिस्से में वृद्धि, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹364 करोड़ तथा राज्य के स्वयं के कर राजस्व ₹290 करोड़ के कारण थी। संघ सरकार से हस्तांतरित संघीय करों तथा शुल्कों और सहायता अनुदान से राज्य के हिस्से में वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्तियां 72.33 *प्रतिशत* हुई।

(पैरा- 1.3)

मार्च 2019 तक, ₹45.93 करोड़ तथा ₹376.72 करोड़ राशि के ऋण कृषि उद्योगों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रति बकाया थे, जिसकी अंतिम रूप से तैयार लेखाओं के अनुसार क्रमशः ₹42.10 करोड़ तथा ₹1,148.12 करोड़ की कुल संचित हानियां थी। इस प्रकार, वसूली की खराब व्यवस्था के बाद भी राज्य सरकार द्वारा ऋणों की स्वीकृति दी गई थी। वसूली लगभग नगण्य होने के कारण सरकार लेखाओं को सही दर्शाने की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार इन राशियों को पूंजीगत व्यय की बजाय अनुदान/सहायिकी के रूप में राजस्व व्यय में बुक करने पर विचार कर सकती है।

(पैरा- 1.4.1)

पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय ₹15,174 करोड़ तक बढ़ा। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 87 *प्रतिशत* था। वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान तथा अन्य सहायिकियों के कारण प्रतिबद्द व्यय 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय का 68 *प्रतिशत* था।

(पैरा- 1.6.2 व 1.6.3)

कुल व्यय में विकास हेतु पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी की वर्ष 2017-18 में 18.62 *प्रतिशत* से 2018-19 में 11.76 *प्रतिशत* तक घटी, जबकि उसी अवधि के दौरान कुल व्यय में विकास राजस्व व्यय की हिस्सेदारी 46.84 से 51.48 *प्रतिशत* तक बढ़ी।

(पैरा- 1.7.2)

31 मार्च 2019 को राज्य सरकार के पास कंपनियों/ सांविधिक सहकारी संस्थानों/ स्थानीय निकायों में ₹689.42 करोड़ का संचयी निवेश था। वर्ष 2014-15 के दौरान लाभांश/ ब्याज की दर 23.99 *प्रतिशत* थी और यह आगामी वर्षों के दौरान निरन्तर घट गई तथा 2017-18 और 2018-19 में कोई भी रिटर्न नहीं था, जबकि कथित अवधि के दौरान निवेश ₹537.17 करोड़ से बढ़कर ₹689.42 करोड़ हो गया। रिटर्न निवल वर्तमान लागत पर आधारित न होकर, ऐतिहासिक लागत पर आधारित है।

(पैरा-1.8.3)

वर्ष 2018-19 के लिए नकदी शेष निर्धारित आरक्षित निधियों ₹2,486 करोड़ की राशि के बराबर नहीं था जिसका अर्थ है कि आरक्षित निधियों का उपयोग अपेक्षित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य के लिए किया गया।

(पैरा-1.8.5.)

31 मार्च 2019 को सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं ₹79,105 करोड़ थी। संचित देयताएं सरकार की राजस्व प्राप्तियों से 1.54 गुणा अधिक और सरकार के स्वयं के कर राजस्वों से 5.58 गुणा अधिक थी। 2018-19 के दौरान जीएसडीपी के संबंध में इन देयताओं का आधिक्य अनुपात 1.39 *प्रतिशत* था, जो दर्शाता है कि जीएसडीपी में प्रत्येक एक *प्रतिशत* की वृद्धि हेतु वित्तीय देयताएं 1.39 गुणा बढ़ गई।

(पैरा-1.9.2)

वर्ष 2017-18 का ₹7,595 करोड़ का राजस्व अधिशेष, 2018-19 के दौरान ₹4,859 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया। जो मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के कारण हुआ। वर्ष 2018-19 के दौरान ₹8,029 करोड़ की वेतन में वृद्धि होने के कारण भी राजस्व में घाटा हुआ। इस वेतन वृद्धि में वेतन आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए

₹3,900 करोड़ की बकाया राशि भी शामिल है, जिन्हें बुक समायोजन के माध्यम से जीपीएफ खातों में जमा किया गया था। यह राजस्व घाटे पर उस सीमा तक एक प्रभाव के रूप में रहा। राजकोषीय घाटा (एफडी) वर्ष 2017-18 में ₹2,778 से बढ़कर 2018-19 में ₹13,337 करोड़ हो गया। 2017-18 के दौरान, ₹1,885 करोड़ प्राथमिक अधिशेष की तुलना में राज्य का 2018-19 में ₹8,128 करोड़ का प्राथमिक घाटा था।

(पैरा-1.11.1)

अध्याय-II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण:

वर्ष 2018-19, के दौरान ₹1,09,479.22 करोड़ के कुल अनुदानों तथा विनियोजन के प्रति ₹85,241.37 करोड़ का व्यय हुआ। विभिन्न अनुदानों तथा विनियोजनों में ₹28,869.38 करोड़ की बचत को पाँच अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹4,631.53 करोड़ आधिक्य को समायोजित करने पर ₹24,237.85 करोड़ की समग्र बचत हुई। 1980-2018 वर्षो के लिए ₹1,14,061.35 करोड़, के अतिरिक्त उक्त राशि ₹4,631.53 करोड़ को भी जम्मू एवं कश्मीर संविधान की धारा 82 के अनुसार नियमित किए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा-2.2, 2.2.1 व 2.3.1)

2014-19 के दौरान, छह अनुदानों में निरंतर बचत थी। 16 मामलों में, अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान की तुलना में अनावश्यक सिद्ध हुआ जैसा कि व्यय मूल प्रावधान से कम था। जबकि चार अनुदानों में अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त होने के परिणामस्वरूप व्यय अधिक हुआ।

(पैरा-2.3.3 व 2.3.4)

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹1,874.17 करोड़ का सहायता अनुदान, ₹99.18 करोड़ की सहायिकी, ₹0.19 करोड़ का वज़ीफ़ा एवं छात्रवृत्ति, ₹2.24 करोड़ का वेतन तथा ₹286.21 करोड़ अधिप्राप्ति की परिचालन लागत/पीड़ीएस द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को, राजस्व शीर्षों में उनका लेखांकन करने की आवश्यकता के बदले, व्यय के मुख्य पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत संवितरित किया गया।

(पैरा- 2.5.5)

अध्याय-III

वित्तीय रिर्पोटिंग:

31 मार्च 2019 तक ऋणों तथा अनुदानों के संबंध में ₹8,219.90 करोड़ के 1,774 उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न विभागो के प्रति बकाया थे। राज्य सरकार इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यूसी के अधिक लम्बन के साथ विभागो को अधिक अनुदान देना जारी रखना चाहिए या नहीं। कुछ विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों तथा स्वायत निकायों द्वारा वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में असाधारण विलंब भी देखा गया।

(पैरा-3.3,3.4, व 3.5)

2018-19 के दौरान, ₹4,220.87 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 8.24 *प्रतिशत*) लघु शीर्ष 800 'अन्य प्राप्तियां' के अंतर्गत वर्गीकृत थे तथा ₹3,662.17 करोड़ का व्यय (कुल व्यय का 5.68 *प्रतिशत*) वित्त लेखाओं में स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित करने की बजाय लघु शीर्ष 800 'अन्य व्यय' के अंतर्गत बुक किया गया था।

(पैरा-3.6)